APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर, ओसियाँ

अदालत — मुकाम

लिछमण राम बनाम धापू देवी वगैरा

किस्म मुकदमा धारा-88/188/183 Rt. act नं. 176/2013 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/13	पेश हो ... प्रति... नोटिस... को पेश ... 14/10/13 उपखण्ड अधिकारी, ओसियाँ	
14/10/13	वकील वादी [illegible] / प्रतिवादी क्र. 1 व 2 की ओर से वकील श्री समाधान चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अन्य प्रतिवादी गण के समन तामिल या अदम तामिल प्राप्त नहीं। इन्तजार किया जाकर पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी व जवाब दावा दिनांक 9.12.2013 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, ओसियाँ	
9/12/13	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी व जवाबदावा दिनांक 13/1/14 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, ओसियाँ	
	वकील [illegible] पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी व जवाब दावा दिनांक 7/4/14 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, ओसियाँ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वकील वादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 C.P.C का जवाब पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। फिसल वास्ते आदेश हेतु दिनांक 6/2/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, सौंफिया	
6/2/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। फिसलनिर्णय अलग से लिख कर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमती जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सौंफिया	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या :– /2013

वादी :–

लिछमणराम पुत्र श्री बागाराम जी, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा भाटियान, हाल निवासी ग्राम भुण्डाणा, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी :–

1. श्रीमती धापूदेवी पत्नी भीखाराम,
2. सुखीदेवी पत्नी श्री बुधाराम, जातियान जाट, निवासीगण–रामपुरा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग

उपस्थिति :–

1. **वादी की ओर से दिनेश मदेरणा एडवोकेट।**
2. **प्रतिवादी की ओर से रूघाराम चौधरी एडवोकेट।**

निर्णय **दिनांक** 6|2|19

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण करना है प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजूद वादी ने खातेदारी घोषणा, कब्जा प्राप्ति, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा संख्या 548 रकबा 102 बीघा 17 बिस्वा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

संख्या 519/1 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 519/2 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 118 बीघा 9 बिस्वा वादी की नानी श्रीमती सजनी के नाम वक्त बंदोबस्त दर्ज थी, वादी ने वाद पत्र में आगे निवेदन किया कि वादी की नानी का देहान्त काफी वर्षो पूर्व हो चुका है वादी की नानी श्रीमती सजनी का देहान्त होने पर श्रीमती चून्नी पत्नी स्व॰ गंगाराम के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ। श्रीमती चून्नी ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त खसरा रकबा का बेचान जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज से कर दिया एवं पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर क्रेतागण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 293, 294, 582, 153, 154, 220, 311 स्वीकृत हुवे। जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे एवं वादी को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पूर्व में जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया। लेकिन बाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीस का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार काश्तकार श्रीमती चुन्नीदेवी पत्नी गंगाराम ने अपने खातेदारी अधिकारो का प्रयोग करते हुए खसरा संख्या 548 रकबा 102 बीघा 7 बिस्वा का बेचान जरिये पंजीकृत दस्तावेज से बेचान कर दिया एवं बेचान दस्तावेज के आधार पर सदभाविक क्रेतागण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि जब तक बेचान दस्तावेज अस्थित्व में है माननीय न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नही है। प्रार्थना पत्र में आगे उल्लेख किया कि वादी की माता श्रीमती सारादेवी वादग्रस्त आराजीयात की कभी खातेदार काश्तकार नही रही है और न ही वादी की माता सारादेवी ने अपने हक अधिकारो की मांग को लेकर सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 53 के वियद्ध कोई कार्यवाही नही की है इस कारण से वाद को वाद प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न नही हुआ। प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं वादी का वाद विधिक प्रावधानो से बाधित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादी को उपलब्ध करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वकुलाए पक्षकारान् बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो का दौहराते हुए निवेदन किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जाना चाहिए। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस को आगे बढाते हुए यह निवेदन किया कि वादी ने वाद पत्र में यह कभी अंकित नही किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की माता सारादेवी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही हो या वादी ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की माता सारादेवी की खातदेरी मे दर्ज रही हो। वकील प्रतिवादी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि वादी सारादेवी का सौतेला पुत्र है इस कारण से मृतक काश्तकार चुनीदेवी की सम्पति में वादी का कोई हक हिस्सा अधिकार उत्पन्न नही होते है इस प्रकार वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई विधि अधिकार नही है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस मे आगे निवेदन किया कि वादी ने हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम को आधार बना कर वाद प्रस्तुत किया। लेकिन हस्तगत प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागु नही होते है क्योकि वादीनी की माता वादग्रस्त आराजीयात की कभी खातेदार काश्तकार नही है। जब वादीनी की माता ही वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार नही है तो वादी को प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न नही होता है इसके अलावा वादी की माता ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से अधिकार के लिए कभी भी उज्र एतराज पेश नही किया। इस कारण से वादी को वाद प्रस्तुत करने को कोई विधिक अधिकार नही है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अन्त में निवेदन कि वादी ने कब्जा प्राप्ति का दावा प्रस्तुत किया है, इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वादी के पास नही है एवं कब्जा प्राप्ति की म्याद [illegible] पूर्व समाप्त हो चुकी है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इन परिस्थितियो में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर वादी का वाद खारिज करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र के पद संख्या 10 के संबंध में निवेदन किया कि वाद का कारण केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में ही उत्पन्न होना बताया है। जबकि वादी ने वाद पत्र में खातेदारी घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न होने के संबंध में उल्लेख नही किया है।

वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यो कौ दोहराते हुए आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी के नानी की सम्पति थी, इस कारण से वादी को भी वादग्रस्त आराजीयात में हक हिस्सा अधिकार उत्पन्न हो गये। बेचान दस्तावेज का कोई औचित्य नही है वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। वकील वादी ने वादी सारादेवी का सौतेला पुत्र होने के संबंध में किसी प्रकार की बहस नही की। इसके अलावा वाद के कारण के संबंध में भी किसी प्रकार का संतोषजनक तर्क नही दे पाये।

पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 53 के जरिये श्रीमती चुन्नी देवी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ उसके पश्चात् श्रीमती चुन्नीदेवी ने प्रथम बेचान दिनाक 09.08.1972 को किया। उसके पश्चात् दिनांक 04.09.1972 को बेचान किया गया। उसके पश्चात् लगातार बेचान होते रहे। वादी ने पंजीकृत बेचान दस्तावेज को निरस्त करवाने हेतु किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नही किया गया। वादी ने वाद प्रस्तुत करने का कारण 08.07.2013 होना बताया। लेकिन वकील वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जिससे यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की माता के खाते में दर्ज रही हो।

मेरे विनम्र राय मे वादी की माता वादग्रस्ता आराजीयात की खातेदार काश्तकार नही रही है। वादी सारादेवी का सौतेला पुत्र होने के कारण वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादी को खातेदारी घोषणा का कब्जा प्राप्ति का वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण ही उत्पन्न नही हुआ। इसके अलावा वादी ने कब्जा प्राप्ति का वाद म्याद बाहर प्रस्तुत किया है। खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

द्वारा अपने स्वेच्छाचारी अधिकारों का उपयोग करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का बेचान पंजीकृत दस्तावेज से कर दिया है एवं उसके पश्चात् आगे से आगे बेचान होते रहे। वादी ने बेचान दस्तावेजात को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण से वादी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और न ही राजस्व न्यायालय को बेचान दस्तावेज के अस्तित्व में रहते हुए वाद सुनने का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करने योग्य होने के कारण प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद पोषणीय नहीं होने, विधिक प्रावधानो से बाधित होने एवं कब्जा प्राप्ति का वाद म्याद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, इसलिए वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक जिलाधीश, ओसियां,
जिला जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 6/2/19...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक जिलाधीश, ओसियां,
जिला जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
आज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
बइजलास – … आर.ए.एस.

वादी:–	बनाम	प्रतिवादी:–
लिखमाराम वगैरह		श्रीमती ... देवी वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 32A आर.टी.एक्ट.
वाद संख्या:–176/13

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC सपठित धारा 151 CPC स्वीकार करने योग्य होने से फलस्वरूप प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद पोषणीय नहीं होने विधिक प्रावधानों से बाधित होने एवं कब्जा प्राप्ति का वाद म्याद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

निज ...... — ...... मुबलिग ...... — ...... बाबत ...... —
इस मुकदमें के मय सूद व शहर ...... — ...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी ...... — ...... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/2/19 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ओसियां
एवं
सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियां

मुददई	रुपया	पैसे	मुददायला	रुपया	पैसे
म्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वलालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
स कमिश्नर			बबात इजराय हुक्मनाम		
त इजराय हुक्मनामा			मतफरकात		
ान			मजान		

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का जो कि जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी ओसियां
एवं
सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner